

कार्यालय:- जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोडा।

-:विज्ञापित:-

उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग, देहरादून की अधिसूचना संख्या 176/XXIII-1/2025-04(01)-2025 दिनांक 05.03.2025 एवं आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025-28, 2026-27 एवं 2027-28 (त्रिवर्षिय आबकारी नीति), उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 45/XXIII-1/2024-ई-80688-2025 देहरादून दिनांक 03.02.2026 के क्रम में आबकारी आयुक्त के पत्र संख्या 22958/रात लाई0-40/व्यवस्थापन/2026-27/2027-28 सामान्य निर्देश/व्यवस्थापन/देहरादून, दिनांक 03.02.2026 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 (द्विवर्षिय) हेतु नवीनीकरण के पश्चात जनपद- अल्मोडा के निम्न अव्यवस्थापित 05 विदेशी मदिरा एवं 01 देशी मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किये जाने हेतु राजस्व निर्धारण का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष 2026-27 अव्यवस्थापित 09 विदेशी मदिरा एवं 03 देशी मदिरा दुकानों के राजस्व का विवरण:-

क्र० सं०	नाम दुकान	प्रकार	वर्ष 2026-27 का निर्धारणराजस्व	वर्ष 2026-27 का अनुशुल्क (1000 के गुणांक में)	वर्ष 2026-27 का वार्षिक अधिभार	वर्ष 2026-27 हेतु धरोहर राशि (EMD)	वर्ष 2026-27 हेतु हैसियत की राशि	प्रतिभूति की धनराशि	
								प्रथम	द्वितीय
01	पनुवानोला	वि०म०	27040000	270000	20770000	540800	4056000	2230833	2230833
02	धौलछीना	वि०म०	21123409	211000	20912409	422470	3168523	1742707	1742707
03	जालली	वि०म०	15048556	150000	14898556	300971	2257283	1241546	1241546
04	व्दैरला	वि०म०	8320000	83000	8237000	166400	1248000	686417	686417
05	जौरासी	वि०म०	6240000	62000	6178000	124800	936000	514833	514833
06	दौलाघट (नवीन)	वि०म०	19000000	190000	18810000	380000	2850000	1567500	1567500
07	खेडा (नवीन)	वि०म०	29000000	290000	28710000	580000	4350000	2392500	2392500
08	तिपोला (नवीन)	वि०म०	12000000	120000	11880000	240000	1800000	990000	990000
09	पनार (नवीन)	वि०म०	9600000	96000	9504000	192000	1440000	792000	792000
10	सौराल	दे०म०	6630000	66000	6564000	132600	994500	547000	547000
11	पातली (नवीन)	दे०म०	11000000	110000	10890000	220000	1650000	907500	907500
12	जालली (नवीन)	दे०म०	9667081	97000	9570081	193342	1450062	797507	797507

वर्ष 2027-28 अव्यवस्थापित 09 विदेशी मदिरा एवं 03 देशी मदिरा दुकानों के राजस्व का विवरण:-

क्र० सं०	नाम दुकान	प्रकार	वर्ष 2027-28 का निर्धारणराजस्व	वर्ष 2027-28 का अनुशुल्क (1000 के गुणांक में)	वर्ष 2027-28 का वार्षिक अधिभार	वर्ष 2027-28 हेतु धरोहर राशि (EMD)	वर्ष 2027-28 हेतु हैसियत की राशि	प्रतिभूति की धनराशि	
								प्रथम	द्वितीय
01	पनुवानोला	वि०म०	28121600	281000	27840600	562432	4218240	2320050	2320050
02	धौलछीना	वि०म०	21968428	220000	21748428	439369	3295264	1812369	1812369
03	जालली	वि०म०	15650498	157000	15493498	313010	2347575	1291125	1291125
04	व्दैरला	वि०म०	8652800	87000	8565800	173056	1297920	713817	713817
05	जौरासी	वि०म०	6489600	65000	6424600	129792	973440	535383	535383
06	दौलाघट (नवीन)	वि०म०	19236378	192000	19044378	384728	2885457	1587032	1587032
07	खेडा (नवीन)	वि०म०	29360788	294000	29066788	587216	4404118	2422232	2422232
08	तिपोला (नवीन)	वि०म०	12149292	121000	12028292	242986	1822394	1002358	1002358
09	पनार (नवीन)	वि०म०	9719433	97000	9622433	194389	1457915	881069	881069
10	सौराल	दे०म०	6762600	68000	6694600	135252	1014390	557883	557883
11	पातली (नवीन)	दे०म०	10922680	109000	10813680	218454	1638402	901140	901140
12	जालली (नवीन)	दे०म०	9599581	96000	9503581	191992	1439937	791965	791965

उक्त अव्यवस्थापित एवं नव सृजित मदिरा दुकानों हेतु उत्तराखण्ड राज्य के नागरिकों (पात्र आवेदकों) से निर्धारित प्रारूप में आवेदन- पत्र, शपथ- पत्र, पहिचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड) की स्वप्रमाणित छाया प्रति, वांछित धनराशि का हैसियत प्रमाण- पत्र (प्रारूप- जी 39) में अथवा अधिकृत आयकर बैल्यूवर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण- पत्र (मूल रूप से)/एफ०डी०आर० (जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत) एवं निर्धारित धरोहर धनराशि व प्रक्रिया शुल्क (नॉन रिफन्डेबल) का बैंक ड्राफ्ट (आबकारी नीति धोषित होने तिथि के पश्चात जारी) जो कि जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोडा के पक्ष में देय हो सहित आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त हेतु आवेदक को आवेदन- पत्र के साथ गत 02 वर्ष का आई०टी०आर० प्रमाण- पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ₹0 15 करोड़ या उससे अधिक की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय ₹0 10 लाख तथा ₹0 10 करोड़ से ₹0 15 करोड़ राजस्व की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय ₹0 7 लाख तथा ₹0 10 करोड़ से कम राजस्व वाली मदिरा दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय ₹0 5 लाख विगत वर्ष की आई०टी०आर० प्रमाण- पत्र के अनुसार होना अनिवार्य है।

उक्त अव्यवस्थापित एवं नव सृजित मदिरा दुकानों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेब साईड www.uttrakhandexcise.org.in अथवा www.uk.nic.in एवं कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोडा तथा सम्बन्धित आबकारी निरीक्षकों के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

उक्त अव्यवस्थापित एवं नव सृजित विदेशी मदिरा एवं देशी मदिरा दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने के अधिकार आबकारी आयुक्त/जिलाधिकारी/लाईसेन्स प्राधिकारी/जिला आबंटन समिति का होगा।

कृते जिला आबकारी अधिकारी,
अल्मोडा।